



## शुद्धिपत्र

ई-निविदा सं. [RBI/Chennai Regional Office/Estate/14/25-26/ET/155](https://RBI/Chennai Regional Office/Estate/14/25-26/ET/155)

तमिलनाडु राज्य और पुदुच्चेरी (केंद्र शासित प्रदेश) में रहने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, सेवारत कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को क्रेडिट स्लिप पर दवाओं (खुदरा) की डोर-स्टेप डिलीवरी के लिए ई-निविदा और चेन्नई स्थित बैंक के औषधालयों को थोक आपूर्ति

क्र.सं.	निविदा मद/खंड	इस प्रकार पढ़ा जाए
1.	<p>पृष्ठ संख्या 12, पैरा 3 सामान्य अनुदेश</p> <p>सफल बोलीदाता को ₹60 लाख (अनुमानित वार्षिक खरीद मूल्य का 10%) की राशि के लिए या तो अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 15 महीने के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में या "भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई" को देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक कार्यनिष्ठादान बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।</p>	<p>पृष्ठ संख्या 12, पैरा 3 सामान्य अनुदेश</p> <p>सफल बोलीदाता को 30 लाख रुपये (प्रत्याशित वाषक खरीद मूल्य का 5%) की राशि के लिए या तो अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 15 माह के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई को देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यनिष्ठादान बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।</p>
2.	<p>पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (ए), कार्य का दायरा</p> <p>i) चेन्नई के भीतर डिलीवरी पते के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उसी दिन डिलीवरी यदि क्रेडिट पर्ची दोपहर 3:00 बजे से पहले प्राप्त/सूचित की जाती है।</li> <li>24 घंटे के भीतर यदि क्रेडिट स्लिप 3:00 बजे के बाद प्राप्त / सूचित की जाती है।</li> </ul>	<p>पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (ए), कार्य का दायरा</p> <p>i) चेन्नई के भीतर डिलीवरी पते के लिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि क्रेडिट स्लिप अपराह्न 03:00 बजे से पहले प्राप्त/सूचित की जाती है, तो डिलीवरी उसी दिन या <math>T_1+1</math> दिनों के भीतर की जानी चाहिए।</li> <li>यदि क्रेडिट स्लिप अपराह्न 03:00 बजे के बाद प्राप्त/सूचित की जाती है, तो डिलीवरी <math>T_1+1</math> या <math>T_1+2</math> दिनों के भीतर की जानी चाहिए।</li> </ul>
3.	<p>पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (ए), कार्य का दायरा</p> <p>बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्रेडिट पर्ची प्राप्त होने पर, बंद/सीलबंद पैकेटों में निर्धारित मात्रा में दवाएं बैंक के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त / प्राधिकृत लाभार्थियों या बैंक के औषधालयों</p>	<p>पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (ए), कार्य का दायरा</p> <p>बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्रेडिट पर्ची प्राप्त होने पर, निर्धारित मात्राओं में दवा पट्टियों पर "आरबीआई चेन्नई आपूर्ति और बिक्री के लिए नहीं" के रूप में लेबल किया</p>

	के पते पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के बैंक को वितरित की जाएंगी।	जाना चाहिए और बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवारत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त/प्राधिकृत लाभार्थियों या बैंक औषधालयों के पते पर बंद/सीलबंद पैकेटों में सुपुर्द किया जाएगा।
4.	पृष्ठ संख्या 21, पैरा 7 (ए), कार्य का दायरा  भुगतान के लिए दावा क्रेडिट पर्ची के प्रति बनाए गए चालान के साथ क्रेडिट पर्ची की मूल भौतिक प्रति जमा करके किया जा सकता है, जिसे संबंधित कर्मचारियों, सेवानिवृत्त और पात्र आश्रितों द्वारा दवाओं की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। जमा की गई क्रेडिट पर्ची में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और समाधान संख्या/पीएफ नंबर होना चाहिए।	पृष्ठ संख्या 21, पैरा 7 (ए), कार्य का दायरा  भुगतान के लिए दावा क्रेडिट पर्ची की मूल भौतिक प्रति के साथ कर चालान जमा करके किया जा सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और सेवारत कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के समाधान संख्या/पीएफ नंबर का विवरण होता है  (या)  कूरियर सेवा प्रदाता की पावती / वितरण रिपोर्ट और क्रेडिट पर्ची की फोटोकॉपी के साथ कर चालान जमा करके।
5.	पृष्ठ संख्या 22, पैरा 10, कार्य का दायरा  क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई के पास किसी भी संख्या में केमिस्टों/ड्रगिस्ट के साथ वार्षिक संविदा करने का अधिकार सुरक्षित है।	पृष्ठ संख्या 22, पैरा 10, कार्य का दायरा  क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई के पास किसी भी संख्या में सूचीबद्ध केमिस्टों/ड्रगिस्ट जो एमआरपी पर समान उच्चतम समान छूट दर प्रदान करते हैं, के साथ वार्षिक संविदा करने का अधिकार सुरक्षित है।
6.	पृष्ठ संख्या 27, क्रम संख्या 8, अनुलग्नक ।  क्या निर्माता / अधिकृत वितरक / डीलर / एजेंसी	पृष्ठ संख्या 27, क्रम संख्या 8, अनुलग्नक ।  क्या निर्माता/अधिकृत वितरक/डीलर/एजेंसी/ थोक वितरक / खुदरा वितरक
7.	पृष्ठ संख्या 22, पैरा 8, कार्य का दायरा  प्रस्तुत बिलों का भुगतान आम तौर पर बिल की प्रस्तुति की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा, बशर्ते बिल में सूचीबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति और प्रस्तुत दस्तावेज बैंक की संतुष्टि के लिए हों। हालांकि,	पृष्ठ संख्या 22, पैरा 8, कार्य का दायरा  प्रस्तुत बिलों का भुगतान आम तौर पर बिल की प्रस्तुति की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा, बशर्ते बिल में सूचीबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति और प्रस्तुत दस्तावेज बैंक की संतुष्टि के लिए हों। <b>दोषपूर्ण</b>

	<p>आपूर्तिकर्ता किसी भी असामान्य कारणों से भुगतान में देरी होने की स्थिति में ब्याज या क्षति के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं करेगा। भुगतान एनईएफटी/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए बोलीदाता को अपेक्षित विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, आईएफएससी आदि देना होगा।</p>	<p><b>दवाओं की आपूर्ति</b> के मामले में, बैंक को कर चालान में उल्लिखित दोषपूर्ण दवाओं की लागत के प्रति भुगतान को अस्वीकार करने का हर अधिकार है (या) आपूर्तिकर्ता को दोषपूर्ण दवाओं को बदलने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता किसी भी असामान्य कारणों से भुगतान में देरी होने की स्थिति में ब्याज या क्षति के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं करेगा। भुगतान एनईएफटी/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए बोलीदाता को अपेक्षित विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, आईएफएससी आदि देना होगा।</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## परिशिष्ट

ई-निविदा सं. [RBI/Chennai Regional Office/Estate/14/25-26/ET/155](https://RBI/Chennai Regional Office/Estate/14/25-26/ET/155)

**तमिलनाडु राज्य और पुदुच्चेरी (केंद्र शासित प्रदेश) में रहने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, सेवारत कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को क्रेडिट स्लिप पर दवाओं (खुदरा) की डोर-स्टेप डिलीवरी के लिए ई-निविदा और चेन्नई स्थित बैंक के औषधालयों को थोक आपूर्ति**

क्र.सं.	निविदा मद/खंड	मौजूदा पैरा में परिवर्तन
1.	पृष्ठ संख्या 23, पैरा 11 (जी), <b>कार्य का दायरा</b>	पृष्ठ संख्या 23, पैरा 11 (जी), <b>कार्य का दायरा</b> आपूर्तिकर्ता को आवधिक अंतराल पर, अर्थात् महीने में एक बार बैंक को कोल्ड चेन लॉग डेटा प्रस्तुत करना चाहिए।
2.	पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (बी), <b>कार्य का दायरा</b>	पृष्ठ संख्या 20, पैरा 6 (बी), <b>कार्य का दायरा</b> अनुपलब्धता के कारण दवाओं की आंशिक आपूर्ति की स्थिति में, ईमेल के माध्यम से, क्रेडिट पर्ची के विवरण के साथ बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। एक बार डिलीवरी पूरी तरह से पूरी हो जाने के बाद, बैंक को तदनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। संचार उद्देश्य के लिए अलग ईमेल आईडी आपूर्तिकर्ता को बाद में प्रदान किया जाएगा।

**नोट:** यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, बोली दस्तावेज/करार का हिस्सा होगा। बोली दस्तावेज के शेष निबंधनों एवं शर्तें और विनिर्देश समान रहेंगे। उपर्युक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। फर्म द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिजर्व बैंक  
चेन्नै**

**दिनांक: 13 जून 2025**